2023 का हरियाणा विधेयक संख्या…..

पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय,

 रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023

पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय,

रोहतक विधेयक, 2014

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

 भारत गणराज्य के चोहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| संक्षिप्त नाम। |  1. | यह अधिनियम पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् नाम का संशोधन। |  2. | पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ‘‘पंडित‘‘ शब्द के स्थान पर, ‘‘दादा‘‘ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के संक्षिप्त नाम का संशोधन। |  3. | मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ‘‘पंडित‘‘ शब्द के स्थान पर, ‘‘दादा‘‘ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन। |  4. | मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) में, ‘‘पंडित‘‘ शब्द के स्थान पर, ‘‘दादा‘‘ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 3 का संशोधन। |  5. | मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, ‘‘पंडित‘‘ शब्द के स्थान पर, ‘‘दादा‘‘ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। |

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण

लोक कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस

 मै निम्न के सदर्भ में सूचना जारी करता हूँ:-

1. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

2. विधेयक पर तत्काल विचार किया जाए।

3. विधेयक पारित किया जाए।

 (मूल चंद शर्मा)

 उच्चतर शिक्षा मंत्री

 हरियाणा

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

 राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक की स्थापना डिजाइन, ललित कला, फिल्म और टेलीविजन, नगरीय योजना और वास्तुकला के नये सीमांतों पर केन्द्रित सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए और इन क्षेत्रों और सम्बन्धित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चार संस्थान अर्थात् राज्य ललित कला संस्थान, राज्य डिजाइन संस्थान, राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान और राज्य नगरीय योजना और वास्तुकला संस्थान को मिला कर अग्रज विश्वविद्यालय के रूप में सरकारी तकनीकी संस्था (संस्थाओं) सोसाइटी, रोहतक के एकीकृत परिसर को अपग्रेड करके हरियाणा राज्य विधानमंडल (2014 के अधिनियम 24) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ये चार संस्थान 240 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2011 में शुरू हुए थे तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध थे। राज्य सरकार ने शिक्षण और प्रशासन ब्लॉक, छात्रावास, गेस्ट हाउस, कर्मचारी आवास इत्यादि के निर्माण के लिए 35.97 एकड़ भूमि प्रदान की है और इन संस्थानों को 100% अनुदान-सहायता प्रदान कर रही थी। यह विश्वविद्यालय प्रदर्शन और दृश्य कला में और मास मीडिया के क्षेत्र में देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभर रहा है।

 उसके बाद, सरकार ने हरियाणावी भाषा के भारतीय कवि जिसे राज्य सरकार द्वारा मरणोपरांत सूर्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था, के नाम से विश्वविद्यालय का नाम राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) के माध्यम से ‘‘पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक‘‘ किया गया था।

 अब, पंडित लखमी चंद की दादा लखमी चंद के रूप में लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने पुनः विश्वविद्यालय का नाम ‘‘दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक‘‘ के रूप में नामित करने का फैसला किया है।

 उपरोक्त को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम ‘‘पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक‘‘ से ‘‘दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक‘‘ में संशोधित किया जाएगा।

 (मूल चंद शर्मा)

 उच्चतर शिक्षा मंत्री

 हरियाणा

अनुलग्नक

पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक

अधिनियम, 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| संक्षिप्त नाम। |  1. | यह अधिनियम पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है। |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् शीर्षक में संशोधन। |  2. | पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 । |
|  |  2(ड) | ’’विश्वविद्यालय’’ से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक।  |
|  |  3(1) | कुलाधिपति, कुलपति, कोर्ट, कार्य परिषद, शिक्षा परिषद के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारी अथवा सदस्य बने या नियुक्त कियें जाएं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहें, मिलकर पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से निगमित निकाय होगा। |